

निर्णय ब इजलास डॉ. जोगाराम आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 38/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

भारतीय स्टेट बैंक शाखा एस.एम.ई. केन्द्र, प्लॉट नं. एस.पी.-1, रोड नं. 1 विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीयल एरिया,  
जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

(1) मैसर्स पूजा एयरकॉन प्रो. श्रीराम गोपाल सैनी पुत्र श्री मंगूराम सैनी (ऋणी)

(अ) दुकान नं. 10-11, एमजेआरपी कॉलेज रोड, मंगल मंच मैरिज गार्डन के पीछे, स्वेज फार्म, सोडाला,  
जयपुर ।

(ब) प्लॉट नं. 1-सी, शर्मा कॉलोनी, स्वेज फार्म, जयपुर ।

(स) 8, देवीनगर मोड़, न्यू सांगानेर रोड के पास, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and  
reconstruction of financial assets and enforcement of security interest  
Act. 2002

उपस्थित :- श्री सत्येन्द्र खोरानियां अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।

निर्णय

दिनांक 2-7-2020





संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 08.10.2015 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी मैसर्स पूजा एयर कॉन के स्वामित्व की सम्पत्ति स्टॉक्स ऑफ एसी, एलईडी, एलसीडी, फ्रिज, वाटर कूलर, प्रोजेक्टर, आर. ओ. सिस्टम, कम्प्यूटर, लैपटॉप एण्ड सीसीटीवी कैमरा इत्यादि, एन्टायर करन्ट असेट्स एण्ड फिक्स्ड असेट्स (बोध प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर) अर्थात् स्टॉक्स फिनिशड गुड्स, स्टोर्स एण्ड स्पेयर्स, स्टॉक-इन-ट्रांजिट, सण्डी डेटर्स, ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट ऑफ बुक-डेब्ट्स, आउटस्टैंडिंग, रिसेिवेबल, ऑल मूवेबल्स, इक्युपमेन्ट्स, सिक्योरिटीज, अदर मूवेबल फिक्स्ड असेट्स, फर्नीचर, फिक्चर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि को हाईपोथिकेटेड कर रु. 10,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 17.09.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा/14

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास दृष्टिबन्धक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 17.09.2019 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्ति के साक्ष्य के रूप में भारतीय डाक विभाग की वेबसाईट से प्राप्त ट्रेकिंग स्टेटस की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी मैसर्स पूजा एयर कौन के स्वामित्व की हाईपोथिकेटेड सम्पत्ति स्टॉक्स ऑफ एसी, एलईडी, एलसीडी, फ्रिज, वाटर कूलर, प्रोजेक्टर, आर. ओ. सिस्टम, कम्प्यूटर, लैपटॉप एण्ड सीसीटीवी कैमरा इत्यादि, एन्टायर करन्ट असेट्स एण्ड फिक्स्ड असेट्स (बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर) अर्थात् स्टॉक्स फिनिशड गुड्स, स्टोर्स एण्ड स्पेयर्स, स्टॉक-इन-ट्रांजिट, सण्डी डेटर्स, ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट ऑफ बुक-डेब्ट्स, आउटस्टैन्डिंग, रिसीवेबल, ऑल मूवेबल्स, इक्युपमेन्ट्स, सिक्योरिटीज, अदर मूवेबल फिक्स्ड असेट्स, फर्नीचर, फिक्चर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि स्थित सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
4. आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्व कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफतर हो।
5. आदेश आज दिनांक 2-7-2020 को सरे इजलास सुनाया गया।



  
(डॉ. जोगाराम)  
**जिला मजिस्ट्रेट**  
(कलक्टर) जयपुर